उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्टिटयूशन ऑफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर–आई.एस.बी.टी.,
माजरा, देहरादून। दूरभाषः 0135–2641119, फैक्स–2641314
वेबसाईट– www.uerc.gov.in ई–मेल– uerc@indiatimes.com

जन–सूचना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.सी.एल.) की ए.आर.आर. प्रस्तावों पर विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से यू.पी.सी.एल. द्वारा लिये जाने वाले रिटेल टैरिफ को स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये 23 अक्टूबर, 2009 को टैरिफ आदेश निर्गत किया गया था।

चूंकि, मै0 पॉलीप्लैक्स कारपोरेशन लि0, मै0 ग्रीनप्लाई कारपोरेशन लि0 तथा कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा मा0 विद्युत अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली (मा0 प्राधिकरण) के समक्ष आयोग के उपरोक्त आदेश दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 को रद्द करने के लिए अपील संख्या–41, 42 एवं 43/2010 दायर की गयी थी।

और चूंकि, मा0 प्राधिकरण द्वारा उक्त अपील संख्या–41, 42 एवं 43/2010 का निस्तारण कर अपने आदेश दिनांक 31.01.2011 द्वारा आदेशित किया गया किः

> ***"67. As indicated above, we set aside the order impugned and remand the matter to the State Commission for re-determination of the tariff on the basis of the existing Regulations and the regulatory principles and also in the light of the observations made above."***

उक्त आदेश दिनांक 31.01.2011 मा0 प्राधिकरण की वेबसाईट www.aptel.gov.in पर उपलब्ध है।

और चूंकि, यू.पी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए ए.आर.आर. एवं टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें वित्तीय वर्ष 2009–10 के अस्थायी सहीकरण (provisional true-up) हेतु भी अनुरोध किया गया है।

और चूंकि, मा0 प्राधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 31.01.2011 के प्रकाश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ में परिवर्तन हो सकता है।

और चूंकि, आयोग द्वारा यू.पी.सी.एल. को उक्त पर अपना प्रत्युत्तर देने के साथ–साथ विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु वर्ष 2009–10 के टैरिफ के पुनर्निधारण हेतु विद्युत आपूर्ति के मद में वास्तविक व्यय, वास्तविक विद्युत विक्रय, वास्तविक राजस्व वसूली तथा क्रास सब्सिडी के आंकड़ें देने हेतु कहा गया।

और चूंकि, यू.पी.सी.एल. द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु विद्युत आपूर्ति के मद में वास्तविक व्यय, वास्तविक विद्युत विक्रय, वास्तविक राजस्व वसूली तथा क्रास सब्सिडी के संदर्भ में प्रेषित सूचना का सार निम्नवत् है:–

क्र.सं.	वार्षिक राजस्व आवश्यकता सम्बन्धी विवरण	टैरिफ आदेश दिनांक 23.10.2009 द्वारा स्वीकृत	यू.पी.सी.एल. द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित टैरिफ के आधार पर क्रॉस सब्सिडी		
				श्रेणियां	टैरिफ आदेश 2009–10 द्वारा स्वीकृत औसत आपूर्ति मूल्य रू0 3.30/यूनिट के सापेक्ष	यू.पी.सी.एल. द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु प्रेषित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर औसत आपूर्ति मूल्य रू0 4.27/यूनिट के सापेक्ष
	व्यय			**घरेलू**	-31.55%	-55.44%
1	विद्युत क्रय मूल्य	1535.32	2151.18	**अघरेलू**	20.72%	-18.29%
2	परिचालन एवं मरम्मत व्यय	264.25	254.82	**एल.टी. उद्योग**	12.43%	-22.39%
3	ब्याज प्रभार	62.89	75.46	**एच.टी. उद्योग**	11.82%	-22.29%
4	मूल्य ह्रास (depreciation)	21.70	31.05	**मिश्रित भार**	-14.76%	-33.94%
5	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्राविधान	28.80	27.09	**प्राईवेट टयूबवेल**	-80.46%	-84.33%
6	रिटर्न ऑन इक्विटी	0.84	0.84	**पब्लिक लैम्प**	-5.41%	-37.24%
7	क्रियाशील पूंजी पर ब्याज	16.08	11.59	**पब्लिक वाटर वर्क्स**	-4.99%	-36.80%
8	सतत विद्युत आपूर्ति अधिभार की वापसी	0.00	24.21	**सरकारी सिंचाई व्यवस्था**	-4.45%	-38.95%
	कुल व्यय	**1929.88**	**2576.24**	**रेलवे ट्रेक्शन**	26.68%	7.52%
9	2008–09 तक राजस्व घाटा	68.51	68.51			
10	घाटे का निर्वहन मूल्य (carrying cost)	0.00	60.10			
अ	**सकल राजस्व आवश्यकता**	**1998.39**	**2704.85**			
ब	घटायाः गैर टैरिफ आय	35.40	51.94			
स	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता (अ - ब)**	**1962.99**	**2652.91**			
द	**विद्युत आपूर्ति का औसत मूल्य**	**3.30**	**4.27**			
ई	टैरिफ से राजस्व	1965.88	1806.23			
फ	**राजस्व अधिशेष/घाटा (ई–फ)**	**2.88**	**(846.67)**			

अतः आयोग मा0 विद्युत अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ निर्धारण हेतु उपरोक्त पर समस्त स्टेकहोल्डर्स के विचार आमंत्रित करता है। स्टेकहोल्डर्स अपने विचारों से आयोग को विलम्बतः दिनांक 25.03.2011 तक अवगत करा सकते हैं।

सचिव